permissible in height and chest to the tribals and hill people as follows:- Height: Minimum height for men belonging to hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North Eastern states will be 165 cms. For females, the minimum height will be 155 cms. The minimum height for tribes will be 162.5 cms for male and 150 cms for females. Chest : Relaxation in chest is applicable to only tribals and hill people. The minimum chest for this category of personnel is as under :- (i) Men belonging to hill areas: 78 - 83 cms. specified as above. (ii) Tribals of all states/UTs: 76-81 cms.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Committee for considering confirmation consisting of :-** 1. Colonel (Records), Assam Rifles —Chairman 2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles —Member 3. Technical Officer, Assam Rifles — Member	Not applicable.

[F. No. A/Pers/FRR/Gp B Comb/NST/2015]

JOGINDER PRASAD, Under Secy. (PF-VI)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2016

सा. का. नि. 27.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक समूह 'ग' के भर्ती नियम, 2010 को जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक श्रेणी – 2 के पदों से, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी – 2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे, सहायक तकनीकी सेवा प्रयोगशाला सहायक श्रेणी – 2 समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला सहायक श्रेणी – 2	87* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 1 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रू.	चयन	वर्ष 21 और 27 के बीच **टिप्पण 1.–** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 2.—** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (बीएससी) में डिग्री **टिप्पण :** वास्तविक भर्ती के समय भर्ती के अनुसार विशेषज्ञता विनिश्चित किया जाएगा।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /अन्तरण किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति :- प्रयोगशाला सहायक श्रेणी – I जिसने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण : 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण : 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहाँ एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान की साथ एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया हैं और जहाँ यह फ़ायदा केवल उन पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) से मिल कर बनेगी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे – **अध्यक्ष** 2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे – **सदस्य** 3. समूह 'क' अधिकारी, केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग से – **सदस्य**	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 2/28/98-स्था. II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 11th February, 2016

G.S.R. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services Laboratory Assistant Group 'C' posts and Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Laboratory Assistant Grade – II, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant Grade-II in the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :-

1. **Short title and commencement** .— (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services, Laboratory Assistant Grade -II, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale** .—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc** .—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification** .—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings** .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Assistant Grade-II	*87 (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', non- Gazetted, non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 2400	Selection

Age limit for direct recruits.
(6)
Between 21 and 27 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in the case of general candidates and up to forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)

Note 1: The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the Vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor of Science (B.Sc.) from a recognised University. **Note :** Specialisation shall be decided as per requirement at the time of actual recruitment	Not applicable	Two years for direct recruits	100% by Promotion, failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Laboratory Assistant Grade-II with five years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for promotion), consisting of :- 1 Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune. — Chairman 2. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune — Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government —Member	Not applicable.

[F. No. 2/28/98-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.